



## प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 26.11.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

### **1-थाना भोजपुर पुलिस द्वारा वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 26.11.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा वारंटी मोबीन पुत्र नसीम निवासी सराय थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर सम्बन्धित अ०स० 135/17 धारा 420/467/468/471 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



### **गिरफ्तार वारंटी:-**

मोबीन पुत्र नसीम निवासी सराय थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

उ०नि० प्रवीन कुमार

हे०का० कुलदीप अत्री थाना भोजपुर, मुरादाबाद ।

## 2-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 09 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.11.2024 को **थाना कटघर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण** 1-विशाल पुत्र पप्पु, 2-दीपक पासी पुत्र सतवीर पासी निवासी गण सूरजनगर पीतलबस्ती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 3-मनीष उर्फ मोनू पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी मौहल्ला सरस्वती बिहार गोविन्दनगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद 4-किशनपाल पुत्र सुरेश माली निवासी पूनम पैलेस के सामने सूरजनगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद तथा **थाना भोजपुर पुलिस द्वारा** 1-नक्शे अली पुत्र महबूब निवासी ग्राम ठीकरी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद 2-हासिम पुत्र कासिम निवासी ग्राम गौधी थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद तथा **थाना छजलैट पुलिस द्वारा** 1-मुकेश कुमार उर्फ विक्की पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम फूलपुर मिठनपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद 2-इस्तकार पुत्र महबूब निवासी ग्राम मानपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद तथा **थाना कांठ पुलिस द्वारा** अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी पट्टी मौढा गुलडिया कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

